प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 दिनांक 10/10/2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है–

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3– 2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सन्त कबीरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
दी मार्डन पब्लिक स्कूल
दुधारा,वि0क्षे0 सेमरियावाँ
संत कबीर नगर ।

पत्रांक : बेसिक/मान्यता/ 2203-05 /2021-22 दिनांक, 05 जुलाई, 2021

विषयः-विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रबन्धक, दी मार्डन पब्लिक स्कूल दुधारा, वि0क्षे0 सेमरियावाँ, संत कबीर नगर में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में इस आशय की पत्रावली प्रस्तुत की गयी है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश पत्रांकः बेसिक/मान्यता /5446-48 /2018-19 दिनांक 10 अगस्त 2018, जो कक्षा 1 से 8 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी है उसे स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांकः बेसिक/ मान्यता / 1901-02/ 2021-22 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र सेमरियावां, संत कबीर नगर को विद्यालय का निरीक्षण कर स्थायी मान्यता हेतु जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र दिनांक 17.06.2021 के अनुक्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र सेमरियावां जनपद संत कबीर नगर द्वारा अपने जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 के द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने हेतु संस्तुति की गयी।

प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अनुसीलन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि वर्तमान में उक्त विद्यालय के नाम भूमि लीज-डीड दिनांक 09.10.2050 तक की अवधि के लिए हो चुका है तथा मान्यता हेतु निर्धारित अभिलेख पत्रावली में रक्षित पाये गये है।

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र सेमरियावां जनपद संत कबीर नगर की जांच आख्या दिनांक 18.06.2021 के अनुक्रम में विद्यालय को इस शर्तो के साथ स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है कि भविष्य में शासनादेश संख्या 419/ 79-6-2010-18 (20)/91 दिनांक 08 मई 2013 में दी गयी शर्ते मान्यतों की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित/प्रकाशित होती है तो शासनादेश संख्या 419/79-6-2010-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के नियम 13 के उपनियम (क)(ख)(ग)(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा भविष्य में कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर यह स्थायी मान्यता आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

भवदीय

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सन्त कबीरनगर।

पृ0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल बस्ती।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी वि0क्षे0 सेमरियावाँ, संत कबीर नगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सन्त कबीरनगर।

Mohd Ahmad

प्रबंधक
दी माडर्न पब्लिक स्कूल
दुधारा, संत कबीर नगर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर।

पत्रांकः बेसिक/ मान्यता/ 5446-48 /2018-19 दिनांक 10 अगस्त, 2018

(मान्यता- कक्षा 01 से 08 तक
माध्यम - अंग्रेजी)

प्रबन्धक,
द मार्डन पब्लिक स्कूल दुधारा सेमरियावां संत कबीर नगर,
जनपद - संत कबीर नगर।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम- II के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/ महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 16/08/2017 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चावर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **द मार्डन पब्लिक स्कूल दुधारा सेमरियावां संत कबीर नगर** को दिनांक 23.07.2018 से 22.07.2021 तक तीन वर्षो की अवधि के लिए **कक्षा 01 से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए औपबन्धिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है -

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारंणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता / सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्नक-1) और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 (संलग्नक-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेत्तर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।
4. प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिए यदि विद्यालय अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जीयेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. समिति / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी जांच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा -
   (क) बालक का आयु - प्रमाण न होने पर,
   (ख) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :
   (एक) किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (दो) किसी बालक को शरीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
   (तीन) किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
   (चार) प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।

Mohd Ahmad

प्रबंधक
दी माडर्न पब्लिक स्कूल
दुधारा, संत कबीर नगर

(पांच) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन ,

(छः) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों कां निर्वहन करता है और,

(सात) अध्यापक निजी अध्यापक क्रिया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगायेगा।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या-21 सन् 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यक्ति संगम या किसी अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।
13. लेखाओं की संपरीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्या SKN-04-E / 2018-19 है। कृपया इसकों ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्धत करने का कष्ट करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्य प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
16. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्धन/ न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न अनुलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।
19. उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर एवं सम्बन्धित प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत कबीर नगर।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक - उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), मण्डल बस्ती/ गोरखपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद संत कबीर नगर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत कबीर नगर।

Mohd Ahmed
प्रबंधक
दी माडर्न पब्लिक स्कूल
दुधारा, संत कबीर नगर